उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 401/गोपनीय/2018 जबलपुर, दिनांक 04 अप्रैल, 2018
दो–2–1/2018 (भाग–ए)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा–1–2–90–इक्कीस–ब(एक), दिनांक 26–10–95, अधिसूचना क्रमांक फा0–1–2–90–इक्कीस–ब (एक), दिनांक 19–2–97 एवं क्रमांक 1–2–90–इक्कीस–अ(एक), दिनांक 7–5–99, कमांक फा01–2–90/21–ब (एक), दिनांक 4–5–2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र.1–2–90–21/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16–05–2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट **विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय** में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	**श्री सभापति यादव,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, वैढ़न (सिंगरौली)।	वैढ़न (सिंगरौली)	शहडोल	शहडोल	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से।	शहडोल

क्रमांक 402/गोपनीय/2018 जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल, 2018
दो–2–1/2018 (भाग–बी)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**श्री दीपक कुमार त्रिपाठी**	**बालाघाट**	**मण्डला**	**मण्डला**	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

4.4.18

2	**श्री दीपक शर्मा**	**दमोह**	**गाडरवाड़ा**	**नरसिंहपुर**	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3	**श्री शिव चरण पाण्डेय,** विधिक सलाहकार, म0प्र0 लोकायुक्त संगठन, भोपाल के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर।	**भोपाल**	**भोपाल**	**भोपाल**	उन्नीसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
4	**श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डे**	**शुजालपुर**	**सारंगपुर**	**राजगढ़**	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री अशोक कुमार शर्मा (जूनियर–1) के स्थान पर।
5	**श्री सुरेश चन्द्र पाल**	**अलीराजपुर**	**तराना**	**उज्जैन**	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
6	**श्री राकेश मोहन प्रधान**	**मुरैना**	**सतना**	**सतना**	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी के स्थान पर।
7	**श्री जय शंकर श्रीवास्तव**	**उमरिया**	**वैढ़न**	**सिंगरौली**	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री उमेश चन्द्र मिश्र के स्थान पर।
8	**श्री अकबर शेख**	**शाजापुर**	**मनावर**	**धार**	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

क्रमांक 403 / गोपनीय / 2018 **जबलपुर, दिनांक 04 अप्रैल, 2018**
दो–2–1 / 2018 (भाग–बी)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :–

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**श्री जाकिर हुसैन**	इंदौर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर की हैसियत से।

टिप्पणी क्र. 1 :–

श्री जाकिर हुसैन, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को निर्देशित किया जाता है कि उन्हें उनके पूर्व के स्थानांतरण **जौरा (मुरैना)** से **इंदौर** अथवा **इंदौर से जबलपुर** स्थानांतरण में से **किसी एक स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण अनुदान** (Transfer Grant) की पात्रता होगी।

टिप्पणी क्र. 2 :–

(1) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334 / गोपनीय / 2018 / दो–2–1 / 2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **कुमारी अनीता बाजपेयी,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर का, **सीहोर** से **जौरा** जिला मुरैना स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे अपने वर्तमान पद पर कार्य करती रहेंगी।

(2) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334 / गोपनीय / 2018 / दो–2–1 / 2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री अविनाश चन्द्र तिवारी,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल का, **शहडोल** से **बुढ़ार** जिला शहडोल स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। वे पूर्व व्यवस्थानुसार शहडोल से बुढ़ार श्रृंखला न्यायालय आयोजित करते रहेंगे।

4.4.18

(3) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 333/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–ए), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री दीपक कुमार त्रिपाठी,** विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट का, **बालाघाट** से **शहडोल** स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(4) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री दीपक शर्मा,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह का, **दमोह** से **मण्डला** स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(5) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री शिव चरण पाण्डेय,** विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल का, **भोपाल** से **विदिशा** स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(6) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर जिला शाजापुर का, **शुजालपुर** जिला शाजापुर से **अमरवाड़ा** जिला छिन्दवाड़ा स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(7) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री सुरेश चन्द्र पाल,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर का, **अलीराजपुर** से **बड़वाहा** जिला मण्डलेश्वर स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(8) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री राकेश मोहन प्रधान,** चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना का, **मुरैना** से **चाचौड़ा** जिला गुना स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(9) रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 334/गोपनीय/2018/दो–2–1/2018 (भाग–बी), दिनांक 22–03–2018, जहां तक इसका संबंध **श्री जय शंकर श्रीवास्तव,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया का, **उमरिया** से **देवसर** जिला सिंगरौली स्थानान्तरण से है, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

टिप्पणी क्र. 3 :–

1. **श्री सभापति यादव,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, वैढ़न (सिंगरौली),
2. **श्री सुरेश चन्द्र पाल,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर
3. **श्री अकबर शेख,** पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,

का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

टिप्पणी क्र. 4 :– **रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।**

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

4.4.18

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 404/गोपनीय/2018 दो–2–1/2018 (भाग–ए) **जबलपुर, दिनांक 04 अप्रैल, 2018**

प्रतिलिपिः–

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल–6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

2 प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल–462004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री शिव चरण पांडेय,** विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन भोपाल की पदस्थापना नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं उच्च न्यायालय को सौंपे जाने संबंधी आदेश राज्य शासन से प्राप्त कर इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

4.4.18

3 सचिव, कार्यालय लोकायुक्त संगठन, म0प्र0 लोकायुक्त भवन, एफ–ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल – 462001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया **श्री शिव चरण पांडे,** विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन भोपाल को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नए स्थान पर **दिनांक 10–04–2018 तक अवश्यमेव कार्यभार** ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

4 महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर– 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

5 महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

6

1. **श्री सभापति यादव,** प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, वैढ़न (सिंगरौली),
2. **श्री दीपक कुमार त्रिपाठी,** विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट,
3. **श्री दीपक शर्मा,** तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह,
4. **श्री शिव चरण पाण्डेय,** विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, म0प्र0 लोकायुक्त भवन, एफ–ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल –462001
5. **श्रीमती दिव्यांगना जोशी पाण्डेय,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर जिला शाजापुर,
6. **श्री सुरेश चन्द्र पाल,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर,
7. **श्री राकेश मोहन प्रधान,** चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना,
8. **श्री जय शंकर श्रीवास्तव,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया,
9. **श्री अकबर शेख,** पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,
10. **श्री जाकिर हुसैन,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि **वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 10.04.2018 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें।** कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

11. **कुमारी अनीता बाजपेयी,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर,
12. **श्री अविनाश चन्द्र तिवारी,** प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित।

7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **बालाघाट/ दमोह/ भोपाल/ शाजापुर/ अलीराजपुर/ मुरैना/ उमरिया/ इंदौर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनांक 10.04.2018 तक अवश्यमेव कार्यभार** ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

8 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **सीहोर/ शहडोल/ मण्डला/ नरसिंहपुर/ राजगढ़/ उज्जैन/ सतना/ सिंगरौली/ धार/ विदिशा/ छिन्दवाड़ा/ मण्डलेश्वर/ गुना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9 कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, **वैढ़न (सिंगरौली)** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **जबलपुर** को इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कि **श्री जाकिर हुसैन,** द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर की पदस्थापना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर के पद पर होने के फलस्वरूप, उनके वेतन तथा भत्ते आदि का व्यय जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के मद से किया जावेगा।

11 **रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई–मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :–**

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर**/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0–1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, **इन्दौर** – 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर** (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

4.4.18

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ **(I.L.R. & Examination),** उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

(6) रजिस्ट्रार **(Exam & Labour Judiciary)**/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) प्रभारी संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

12 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक–1)/ (न्यायिक–2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

13 रजिस्ट्रार–कम–माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

14 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

15 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।

16 माननीय न्यायाधिपति श्री ____________________ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

17 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

18 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

11.4.18

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल